

पत्रांक:—सी0एफ0ओ0—न—6(इ0)/2022

दिनांक—अप्रैल 27,2022

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
RAJEEV GANDHI NAVODAYA VIDYALAYA,
CHAUNALIYA, DISTT-ALMORA, UTTARAKHAND,

विषय:—अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0—43904369 दिनांक:—11.03.2022 के परिपक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा RAJEEV GANDHI NAVODAYA VIDYALAYA, CHAUNALIYA, DISTT-ALMORA, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।


1. परिसर अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 03 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. परिसर में 02 अदद डीसीपी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा क्षमता, 07 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता का प्राविधान किया गया है।
3. निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक को परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 1.5 लाख ली0 क्षमता, ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 25 हजार ली0 क्षमता, डीजल पम्प, जॉकी पम्प, 05 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता, 01 अदद एएफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 ली0 क्षमता, 06 अदद होजरील एवं 02 अदद फायर हार्डिनेन्ट मय फिटिंग्स का प्राविधान किये जाने हेतु सुझाव/निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि —

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं 100) अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित सुझाव सहित संस्तुति आख्यां पत्रांक-अ0सु0व्यव0/FS RKT/2021 एवं उपनिदेशक (तक0/प्रशा0) अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा स्वीकृत दिनांक:20.04.2022 के आधार पर के आधार पर RAJEEV GANDHI NAVODAYA VIDYALAYA, CHAUNALIYA, DISTT-ALMORA, को दिनांक-27 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


27.4.22

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)